श्री भीष्म साहनी, माननीय स°वि°प° से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-01/212/1137 से उद्भूत
आश्वासन संख्या-06/2026 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन/आश्वासन	अनुपालन प्रतिवेदन
(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत बगहा-1 प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत-राज बसवरिया के करजनिया परसौनी से सिकरहना नदी गुजरती है, (ख) क्या यह सही है कि सिकरहना नदी में भरे गाद एवं टूटे तटबंध से प्रत्येक साल अनेक ग्राम जैसे-करजनिया, परसौनी, हरपूर, बरियरवा, सलहां, पीपर, बसंतपुर आदि बाढ़ से प्रभावित होता है और जान-माल, फसल की हानि उठानी पड़ती है, (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिकरहना नदी का बाबा के पुल से सिसवा बसंतपुर तक गाद की सफाई एवं तटबंध को मजबूत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा-1 प्रखंड से सिकरहना नदी गुजरती है, जिसके दाँयें तट पर क्रमशः करजनिया, परसौनी, हरपुर, सिसवा बसंतपुर एवं बायें तट पर पीपरा, सलहा, बरियरवा ग्राम स्थित है। बगहा-1 प्रखंड में सिकरहना नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रभाग में कोई तटबंध निर्मित नही है। बाढ़ अवधि में नदी के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि होने पर पानी का फैलाव एन.एस.एल. पर होता है एवं नदी में जलस्तर घटने पर स्वत: नदी में वापस चला जाता है । वर्तमान में प्रश्नगत सभी ग्रामों में बसावट की दूरी नदी तट से लगभग 350 से 750 मीटर है एवं प्रश्नगत प्रभाग में सिकरहना नदी में गाद सफाई की अभी कोई योजना नहीं है। **आश्वासन** **श्री भीष्म साहनी:** माननीय सभापति महोदय, उत्तर तो प्राप्त है लेकिन प्रखंड बगहा-1 के करजनिया, परसौनी, पिपरा, सलहा, बरियरवा हरपुर में प्रत्येक साल बाढ़ का पानी चला जाता है, जिससे फसल का जानमाल का नुकसान होता है। तो मैं प्रश्न किया था कि वहां जो सिकरहना नदी है उसके किनारे तटबंध ऊंचा कर दिया जाए ताकि बाढ़ से वहां फसल और जानमाल का आम जीवन पर असर नहीं पड़ सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार के द्वारा बहुत से काम किए गए हैं और आगे भी चलिए रहा है लेकिन ये पांच सात पंचायत जो है वह हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो सिकरहना नदी के किनारे थोड़ा ऊंचीकरण कर दिया जाता, तटबंध नहीं भी बनता ताकि बाढ़ के समय में वह पानी जो है नहीं जा सके। यही मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने का कृपा करेंगे। **श्री विजय कुमार चौधरी (मंत्री):** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार जरूर विचार करेगी लेकिन जिस पंचायत विशेष की बात ये कर रहे हैं, उसके संबंध में माननीय सदस्य अलग से लिख के हमको दे देंगे तो हम जरूर अधिकारियों को भेज के दिखवा के आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।	वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा-1 प्रखंड से सिकरहना नदी गुजरती है, जिसके दाँयें तट पर क्रमशः करजनिया, परसौनी, हरपुर एवं बायें तट पर पीपरा, सलहा, बरियरवा ग्राम स्थित है। करजनिया, परसौनी, हरपुर गाँव जिनमें बसावट की दूरी सिकरहना नदी के दायें तट से क्रमशः 400 मीटर एवं 350 मीटर की दूरी पर अवस्थित है तथा पीपरा, सलहा, बरियरवा गाँव जिनमें बसावट की दूरी सिकरहना नदी के बायें तट से क्रमशः 750 मीटर, 1000 मीटर तथा 700 मीटर है। बाढ़ अवधि में अत्यधिक जलश्राव कि स्थिति में नदी का फैलाव NSL पर अल्पअवधि के लिए होता है, जिससे नदी से सन्निकट कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती है। उक्त जलस्तर का रिहायसी इलाकों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। नदी के जलस्तर में कमी होने के साथ ही उक्त जल स्वतः नदी की मुख्य धारा में वापस चला जाता है। वर्तमान में उपरोक्त वर्णित सभी स्थल सुरक्षित है एवं प्रश्नगत् प्रभाग में तटबंध निर्माण विचाराधीन नही है। यदि माननीय सदस्य से किसी पंचायत विशेष के संबंध में सुझाव प्राप्त होता है, तो विभाग द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन कर, प्राप्त तकनीकी संभाव्यता से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

P.T.O

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–03 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 212वें सत्र में उनके ज्ञापांक–489(6) दिनांक–10.04.2026 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–01 / 212 / 1137 से उदभूत आश्वासन सं0–06 / 2026 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–03 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–03 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–03 / 2026– 4463 पटना, दिनांक– 06/10/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

06/10/26